

प्राचाय का कायोलय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

लिपिक/ईन्चार्ज,
छात्र शाखा,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

समीक्षोपरान्त पाया गया है कि Internship पूर्ण करने के उपरान्त, संबंधित छात्रावास के वार्डेन/केयर-टेकर के No Dues के बिना ही प्रायः उनके प्रमाण-पत्रों को निर्गत कर दिया जाता है, जो बिल्कुल उचित नहीं है एवं इससे अनुशासनहिनता में वृद्धि देखने को मिल रही है । इन्ही कारणों से छात्रावासों में Internship पूर्ण करने के उपरान्त भी लम्बे समय तक जमे रहते हैं एवं अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करते हैं । ये नियम के विरुद्ध है तथा कॉलेज प्रशासन/छात्रावास प्रशासन के लिए बेवजह परेशानी उत्पन्न करते हैं ।

अतएव लिपिक/ईन्चार्ज, छात्र शाखा को सख्त रूप से निर्देशित किया जाता है कि किसी भी छात्र/छात्रा को कोई भी प्रमाण-पत्र निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित छात्रावास के वार्डेन/केयर-टेकर द्वारा निर्गत No Dues अवश्य उपलब्ध हो, बिना इसके प्रमाण-पत्र निर्गत करने की स्थिति में उत्पन्न किसी भी परिस्थिति के लिए आप पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

ह0/-

प्राचार्य


श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:- 2134/21

दिनांक:- 02/12/21

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षक/उपाधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सभी वार्डेन, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
3. प्रभारी प्राध्यापक प्रशासन/ईस्टेट ऑफिसर/मुख्य वार्डेन, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
4. प्रभारी पदाधिकारी, छात्र शाखा, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
5. सभी छात्र/छात्रा, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
6. केयर-टेकर, छात्रा छात्रावास, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
7. कॉलेज वेबसाईट ।
8. छात्रावास सूचना पट्ट ।



प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर